न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 145/2017

बउनवान

जितेन्द्र आयु 40 साल पुत्र श्री धनराज जाति–गुसाई निवासी–कल्याणपुराघाटा तहसील–बारां जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 08.10.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 04.12.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कल्याणपुरा घाटा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 120/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में अंकित है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, पत्रावली में अपीलांट का जवाब नहीं है। अतिक्रमित आराजी की पेमाईश भी नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नितान्त असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात् पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4.12.2015 निरस्त फरमाया जावे।

अपील रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1374/12 निर्णय दिनांक 08.11.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान पर पश्चात्वर्ती पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश पारित किया गया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। वर्तमान में उक्त आराजी खाली पडी हुई है।

फलस्वरूप अपीलांट [illegible] आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार [illegible], शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ [illegible] संख्या 1284/15 में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2015 से दी [illegible] की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित [illegible] छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर [illegible] कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा [illegible] दिनांक 04.12.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ [illegible] अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय [illegible] 04.12.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official